न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 60 / 2018

बउनवान

दौलतराम पुत्र देवीलाल जाति–बैरवा, निवासी–बालून्दा तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,मॉगरोल (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजमोहन गोयल, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां

निर्णय दिनांक – 16.01.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 16.02.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बालून्दा, तहसील–मॉगरोल की आराजी ख0नं0 147 रकबा 0.16 है0 किस्म गै.मु नहर पर अतिक्रमी मानकर, बेदखली, 256/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में [illegible] है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं [illegible] नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत [illegible] किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट [illegible] व [illegible] प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का [illegible] पर कब्जा नहीं है और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत [illegible] मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो [illegible] योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 16.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर [illegible] व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का [illegible] नहीं [illegible] एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। [illegible] राशि जमा करा दी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 25/17 निर्णय दिनांक 08.02.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की प्रोपर तामील हुयी है, इसके बावजूद अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। विवादित आराजी गै.मु.नहर है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में [illegible] करने पर मिसल नम्बर 25/17 निर्णय दिनांक 08.02.2017 से बेदखल [illegible] है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट [illegible] पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब [illegible] है। [illegible] न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट [illegible] होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार [illegible] द्वारा प्रकरण संख्या 83/18 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, [illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official